ग्राम पंचायत हटली केसरू, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हटली केसरू विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति ऊषा देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्री रूमेल धीमान	23.1.2016 से अद्यतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री भजन सिंह	1.4.2013 से 27.8.2013
2.	श्रीमति सकिन्द्रा देवी	28.8.2013 से अद्यतन

(ख) गम्भीर आपत्तियों का सार :–

ग्राम पंचायत हटली केसरू के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	पंचायत राजस्व गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	0.30
2.	8	अनुदानों को उपयोग न करना	8.08
3.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.60

4.	10	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करना	5.17
5.	12	निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन करना	1.5
6.	14	दुरूपयोग की गई राशि	0.13

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत हटली केसरू, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 22.7.2016 से 25.7.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 11/13, 3/15, 8/15 व 1/14, 4/14, 8/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत हटली केसरू, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 222, दिनांक 23.7.2016 द्वारा सचिव पंचायत हटली केसरू से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा के0सी0सी0बी0 बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या : 0201874, दिनांक 25.7.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को भेज दिया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत हटली केसरू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(क) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत हटली केसरू के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	47539.04	49396	96935.04	40772	56163.04
2014–15	56163.04	38796	94959.04	8984	85975.04
2015–16	85975.04	50643	136618.04	20269	116349.04

(ख) अनुदान :–

ग्राम पंचायत हटली केसरू के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1207155.01	3116375.02	4323530.03	3611301	71229.03
2014–15	712229.03	1517709.30	2229938.33	1093691.40	1136246.93
2015–16	1136246.93	2124080.21	3260327.14	2152153.88	808173.26

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत हटली केसरू द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अपेक्षित थी। अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण दिनाक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों व बैंक खातों में निम्नविवरणानुसार ₹14019.96 का अन्तर है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं व रोकड़ वहियों तथा बैंक खाते का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में प्रत्येक माह के उपरान्त बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। रोकड़ वहियों व बैंक खाते के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

(i)	रोकड़ वही खाता (क) पैरा 4(क) के अनुसार अन्तशेष	116349.04
(ii)	रोकड़ वही खाता (ख) पैरा 4(ख) के अनुसार अन्तशेष	808173.26
	कुल योग	**₹924522.30**

अन्तशेष का विवरण :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि (₹)
1.	पी0एन0बी0 बंगाणा (आई0पी0एच0)	6809001700000092	24986.50
2.	के0सी0सी0बी0 बंगाणा (विकास निधि/सभा निधि)	20034031644	835862
3.	पी0एन0बी0 बंगाणा (आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III)	6809001700000102	2398.27
4.	पी0एन0बी0 बंगाणा (आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III अंशदान)	6809000100034171	45169.57
		योग	**₹908416.34**
5.	हस्तगत रोकड़		2086.00
		कुल योग	**₹910502.34**
		अन्तर (₹924522.30–₹910502.34	**=₹14019.96**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट

प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. पंचायत राजस्व गृहकर के रूप में ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया गया :–

(क) सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार गृहकर के रूप में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार ₹29500 वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	29200	5320	34520	16820	17700
2014–15	17700	5900	23600	–	23600
2015–16	23600	5900	29500	–	29500

अतः उपरोक्त गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

(ख) हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 47 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. खाता 'ख' के अर्जित ब्याज ₹0.45 लाख को खाता 'क' में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, माह : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता 'ख' से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत हटली केसरू के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में ₹44732 को अन्तरित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता 'ख' के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता 'क' में आन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही 'क' व 'ख' का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	हरियाली–III	आई0पी0एच0	मनरेगा	कुल योग
2013–14	5870	14600	374	11706	32550
2014–15	5103	129	547	627	6406
2015–16	5043	69	664	–	5776
योग	₹16016	₹14798	₹1585	₹7656	₹44732

8. अनुदान ₹8.08 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹808173.26 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.60 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** (i से iii) में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹459781 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किए गए ₹5.17 लाख के सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में की जानी

अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित माहों के दौरान किए गए व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–'3**(i से iii)**'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹516663 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टॉक/स्टोर की स्टोर रजिस्टरों में प्राप्ति नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. बीजों के क्रय ₹0.63 लाख में पाई गई अनियमितताओं बारे :–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या : 8, दिनांक 19.12.2014 को एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम की रोकड़ वही से निम्न विवरणानुसार ₹63450 के बीजों का क्रय किया गया दर्शाया है।

क्र0 सं0	बिल सं0/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1.	00215	साईं बीज भण्डार,	आलू बीज	13.500 क्विंटल	2600	35100
	25.11.2014	बंगाणा				
			प्याज बीज	5 कि0ग्रा0	1200	6000
			शलगम बीज	3 कि0ग्रा0	350	1050
			मूली बीज	2 कि0ग्रा0	1200	2400
					योग	₹44550
2.	00216	साईं बीज भण्डार,	फूल गोभी बीज	5 कि0ग्रा0	2400	12000
	25.11.2014	बंगाणा				
			बन्द गोभी बीज	3 कि0ग्रा0	1000	3000
					योग	₹15000
3.	00217	साईं बीज भण्डार,	सेमफली/फ्रांसबी	13 कि0ग्रा0	300	3900
	25.11.2014	बंगाणा	न बीज			

क्रम संख्या : 1 से 3 तक कुल योग (₹44550+₹15000+₹39000) =₹63450

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैं, जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या : 1 से 3 पर उल्लेखित क्रय दर्शाए गए ₹63450 के बीजों को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं, जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज

(वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5)(क) के अनुसार क्रय से पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई। उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए बीजों को क्रय करने से पूर्व निविदाएं भी आमन्त्रित नहीं की गई है, जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त उल्लेखित क्रय हुए इस अनियमितता न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर (सामान) का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या : 1 से 3 पर उल्लेखित क्रय दर्शाए गए बीजों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी/वितरण करने की प्रविष्टियां दर्ज नहीं हैं। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व जारी/वितरण करने की प्रविष्टियों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित क्रय दर्शाए गए बीजों के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः क्रय दर्शाए गए बीजों की स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वान्छित अभिलेख नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन ₹1.50 लाख :–

कार्य का नाम :– C/o link road Chakkar Abadi Desh Raj Ranjeet Singh Vill. Hatli Sultana

शीर्ष का नाम :– V.K.V.N.Y

स्वीकृत राशि :– ₹150000

Name of Item	Quanity executed	Consumption factor of cement	No of bag to be consumed	Consumption factor of sand	Quantity of sand to be consumed	Consumption factor of Aggregate	Quantity of Agg. To be consumed
P/L c.c in 1:5:10	62.9m³	2.60 bag	163.54	0.47	29.56m³	0.89m³	55.98m³
P/L c.c in 1:5:10	.50m³	3.40 bag	1.70	0.47	0.23m³	0.89m³	0.45m³
Total			165.24		29.79m³		56.43m³
		Say	165 bag				
Actual consumption as per stock register and measurement book			100 bag		26m³		48m³
Less Material consumed in the work			65 bag		3.79m³		8.43m³

उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या : 6657 पृष्ठ 39 से 41 पर दर्ज है। माप पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु 100 बैग सीमेंट, 26 घन

मीटर रेत व 48 घन मीटर बजरी प्रयोग की गई दर्शाई गई है, जबकि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 165 बैग सीमेंट, 29.79 घन मीटर रेत व 56.43 घन मीटर बजरी प्रयोग की जानी अपेक्षित थी। 65 बैग सीमेंट, 3.79 घन मीटर रेत व 8.43 घन मीटर बजरी उक्त कार्य हेतु कम प्रयोग में लाने के कारण उक्त कार्य निम्न गुणवत्ता व हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित मापदण्डों व तय मानकों के अनुरूप नहीं है। अतः निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादन करने का मामला निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के ध्यान में विभागीय जांच हेतु लाया जाता है। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. मजदूरी ₹0.62 लाख से सम्बन्धित उपस्थिति नामावलियां अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

मनरेगा रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि माह 8/2015 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत परिशिष्ट–4 पर दिए गए विवरणानुसार विभिन्न कार्यों हेतु उपस्थिति नामवली के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी के रूप में 61722 का भुगतान किया गया दर्शाया है, लेकिन मजदूरी के रूप में उक्त भुगतान दर्शाई गई राशि से सम्बन्धित उपस्थिति नामावली अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। फलस्वरूप मजदूरी के रूप में दर्शाए गए उक्त भुगतानों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः उक्त भुगतानों से सम्बन्धित उपस्थिति नामावली आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि कृत भुगतानों की सत्यतता की पुष्टि सम्भव हो सके।

14. ₹13245 का संदिग्ध दुरूपयोग :–

(क) वाउचर संख्या : 28, दिनांक 10.8.2015 के अन्तर्गत ₹9650 का संदिग्ध दुरूपयोगः–

वाउचर संख्या : 28, दिनांक 10.8.2015 के अन्तर्गत रोकड़ वही में ₹67952 का व्यय दर्ज किया गया है। उक्त वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि मस्टररोल संख्या : 21186 के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में अदा की गई राशियों का वास्तविक योग ₹58302 बनता है, जबकि उक्त वाउचर के अन्तर्गत रोकड़ वही में ₹67952 दर्शाकर व तदानुसार बैंक से भी ₹67952 आहरित करके ₹9650 (₹67952–₹58302) का संदिग्ध दुरूपयोग किया गया है।

(ख) ₹3240 का संदिग्ध दुरूपयोग :–

जांच के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार ₹3240 को रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त दर्शाकर रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज किया गया है, लेकिन उक्त दर्ज की गई राशि को न तो बैंक में

जमा करवाया गया है व न ही हस्तगत रोकड़ के रूप में शेष में उठाया गया है। फलस्वरूप उक्त राशि का संदिग्ध दुरूपयोग किया गया है।

क्र0 सं0	दिनांक	रसीद सं0		राशि (₹)
1.	24.3.2015	845084		3000
2.	26.8.2015	845216		240
			योग	₹3240

(ग) ₹355 का संदिग्ध दुरूपयोग :–

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान आय की जांच करने पर पाया गया कि निमन विवरणानुसार ₹355 रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई, लेकिन उक्त प्राप्त की गई राशि को रोकड़ वही में दर्ज न करके उसका संदिग्ध दुरूपयोग किया गया है।

क्र0 सं0	दिनांक	रसीद सं0		राशि (₹)
1.	25.3.2015	845071		50
2.	31.3.2015	845083		300
3.	7.8.2015	845213		5
			योग	₹355

अतः उक्त (क+ख+ग) ₹9650+₹3240+₹355=₹13245 के संदिग्ध दुरूपयोग का मामला निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

15. ₹1000 से सम्बन्धित बिल/वाउचर/रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

जांच के दौरान पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ वही के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या : शून्य, दिनांक 10.1.2014 को ₹1000 का भुगतान श्रीमति पींकी देवी, तकनीकी सहायक को किया गया दर्शाया है, लेकिन उक्त भुगतान दर्शाई गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर व राशि प्राप्ति की रसीद अभिलेख में मौजूद नहीं थे। बिल/वाउचर/रसीद अभिलेख में मौजूद न होने के कारण उक्त राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वान्छित बिल/वाउचर/रसीद आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16. रोकड़ वहियों का रख–रखाव नियमानुसार करना :–

(क) ग्राम पंचायत हटली केसरू की रोकड वहियों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक रोकड़ वहियों में न तो प्रतिदिन व प्रत्येक माह का आरम्भिक शेष उठाया गया है व न ही प्रतिदिन व प्रत्येक माह का अन्तिम शेष निकाला गया है। शीर्षवार खाता वही भी तैयार नहीं की गई है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण वित्तीय स्थिति में दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2016 तक दर्शाए गए आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः रोकड़ वही में प्रत्येक दिनांक का आरम्भिक एवं अन्तिम शेष न दर्शाने व शीर्षवार खाता वही तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व तुरन्त प्रभाव से रोकड़ वहियों का रख–रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत हटली केसरू की रोकड़ वहियों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अवधियों की रोकड़ वहियां तैयार नहीं की गई हैं व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की गई। रोकड़ वहियां तैयार न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः रोकड़ वहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब समस्त अनुदानों का लेन–देन खाता 'ख' रोकड़ वही में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ वही का नाम	अवधि
1.	आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III	28.2.2015 से 31.3.2016
2.	आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III अंशदान	1.4.2013 से 31.3.2016

17. माप पुस्तिका में सामान खपत विवरणी तैयार न करना :–

अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्यों हेतु लाखों रूपये की सामग्री, जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट व ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी, जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी। क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

18. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत हटली केसरू द्वारा नहीं किया

गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अपेक्षित है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अनिवार्य है व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे व लिखित हो अथवा मौखिक हो पर लागू होती है, जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांस्पोर्ट, लेवर, सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है, जिसके कारण सरकारी कोष में कई हजारों रूपये टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुए हैं। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

20. (क) स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उपसमिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 63(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित रीति से एक उपसमिति गठित करेगी।

ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निदिृष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व सचिव, ग्राम पंचायत।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत हटली केसरू द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है, जोकि पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम

2002 की धारा 67(3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उपसमिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान उपसमिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए, ताकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 की अनुपालना होने के साथ–साथ स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा गठित सहभागी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उपप्रधान
(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य
(iii) महिला मण्डल से एक सदस्य
(iv) युवक मण्डल से एक सदस्य
(v) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक शिक्षक

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत हटली केसरू द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया है व सभी कार्य सहभागी समिति की स्वीकृति के बिना ही स्वयं करवाए गए हैं, जोकि पंचायती राज अधिनियम 20002 के अध्याय–II के उपनियम–93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उपनियम–93(b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड विकास कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख का रख–रखाव न करना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का रख–रखाव अपेक्षित है।

(1) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(2) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)

(3) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(4) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

(5) शिकायत रजिस्टर (B-11)

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही उक्त अभिलेख तैयार किया गया, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के नियमों की अवहेलना है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वान्छित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

23. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड़ वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के अध्याय–2 नियम–4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)9/2016, खण्ड–1–5094–5097 दिनांकः22.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत हटली केसरू, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा व जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या : 1(ख) 12 व 14 में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा व जिला ऊना हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.